



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु -560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 56 0 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 878 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 878

विषय / Sub: कैप्सूल ब्लॉक, पार्ट सं.:1681 00 000
CAPSULE BLOCK, Part No.: 1681 00 000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ए एस ई आर डी सी, लखनऊ - 226 016, द्वारा अभिकल्पित तथा विकसित एवं मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ - 226 016, द्वारा उत्पादित "कैप्सूल ब्लॉक" पार्ट सं.: 1681 00 000 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए- 878, दिनांक 31मई 2000, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 878 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए- 878/ 3आर, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "CAPSULE BLOCK" bearing the Part No.: 1681 00 000, designed and developed M/s Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Lucknow - 226 016 manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016 was issued with Type Approval No.: 878 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 878, dated: 31st May 2000. It was subsequently issued renewal vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 878 /3R, dated: 16th May 2013 with validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 दिसम्बर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 नवम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(लखनऊ), सेमिलैक, डी आर डी ओ, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st December 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th November 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, DRDO, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-878, दिनांक 31 मई 2000 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-878, dated: 31st May 2000 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।


All other conditions stipulated in the initialtype approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA – 878 / 4R

दिनांक/Date : 04 December 2018

फैक्स सं./Fax No.: 080 – 2523 0856

03rd Dec 18
AR.


पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)